न्यायालय : अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

Web Copy - Not Official

पीठासीन अधिकारी : नखतदान बारहठ आर0ए0एस0

निगरानी प्रकरण सं0 08/2014

1. मनोहर पुत्र श्री साहबराम जाति जाट आयु 24 वर्ष निवासी पन्नीवाली जाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

निगरानीकर्ता

बनाम

1. ग्राम पंचायत पन्नीवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर, जरिये सरपंच ग्राम पंचायत पन्नीवाली तहसील सादुलशहर।
2. कृष्णलाल पुत्र श्री हरनारायण जाति महेश्वरी निवासी श्रीगंगानगर।

अप्रार्थी

निगरानी अन्तर्गत धारा 97, राज0 पंचायती राज अधिनियम 1994 निगरानी विरूघ प्रस्ताव/पट्टा/आदेश ग्राम पंचायत पन्नीवाली दिनांक 01.03.1977 जिसके द्वारा गांव पन्नीवाली की आबादी भूमि का भूखण्ड सख्या 328 साईज 70X70 फुट रिहायशी गैर निगरानीकर्ता सख्या 02 के नाम से बेनामी, गैर इलाका व्यक्ति के नाम से अवैध प्रस्ताव पारित किया जाकर अवैध पट्टा जारी किया गया , निरस्त किये जाने प्रस्ताव /पट्टा/आदेश दिनांक 01.03.1977

उपस्थित :-

1. श्री फलभूर सिंह अधिवक्ता निगरानीकर्ता
2. श्री विरेन्द्र कुमार सिहाग अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता सख्या 02

:: आदेश :: **दिनांक: 14.09.2018**

हस्तगत निगरानी अदालत के समक्ष प्रस्तुत हुई, जिसके सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार हैं कि " निगरानीकर्ता गांव पन्नीवाली जाटान तहसील सादुलशहर का स्थायी निवासी है तथा प्रार्थी गांव का एक जागरूक व्यक्ति है। प्रार्थी एवं प्रार्थी के परिवार एवं जरूरत मन्द काफी लोगो के पास गांव की आबादी भूमि में निवास करने हेतु भूखण्ड /प्लाट उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रार्थी व अन्य लोगों द्वारा वर्तमान सरपंच ग्राम पंचायत के समक्ष भूखण्ड आवंटन हेतु निवेदन किया तो सरपंच द्वारा अवगत करवाया गया कि गावं में रिहायश हेतु भूखण्ड उपलब्ध नहीं है। पूर्व सरपंच द्वारा समस्त प्लाट/भूखण्ड विक्रय कर दिये गये है तब प्रार्थी द्वारा उक्त भूखण्डों के पट्टे की जानकारी व नकल प्राप्ति का निवेदन किया तो प्रार्थी को पंचायत रिकॉर्ड में केवल कार्यवाही रजिस्टर, रोकड बही व रसीद बुक होने की जानकारी दी गई व पट्टा की मूल प्रति उपलब्ध नहीं होने का प्रमाण पत्र जारी करके दिया गया तथा पट्टा की फोटो प्रति ही प्राप्त हो सकी। इसलिए यह निगरानी पट्टा की फोटो कापी एवं प्रमाणित प्रति0 रसीदात व प्रमाण पत्र सरपंच ग्राम पंचायत पन्नीवाली सलंग्न कर प्रस्तुत की जा रही है। गैर निगरानीकर्ता संख्या 02 गांव का या पंचायत क्षेत्र का स्थाई निवासी नहीं है ना ही कभी पंचायत क्षेत्र में निवास किया गया है। भूतपूर्व सरपंच द्वारा भू-माफिया व्यक्तियों से भारी राशि प्राप्त करके बेनामी आवंटन पट्टा भूखण्ड सख्या 328 साईज **70X70** फुट का जारी किया गया जबकि ग्राम पंचायत में ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है ना ही पट्टा बही में पट्टे सम्बन्धी कोई रिकॉर्ड है ना ही पट्टा में प्रस्ताव संख्या/संकल्प संख्या अंकित की गई है ना ही दिनांक 01.03.1977 को किसी प्रकार का आदेश दिया गया है ना ही सार्वजनिक निलामी की प्रक्रिया अपनाई गई है। समस्त

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

कार्यवाही कानून विरूद्व की गई है। सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा गैर निगरानीकर्ता सख्या 02 से ना तो कोई आवेदन पत्र लिया गया है ना ही कार्यवाही रजिस्टर में किसी प्रकार का प्रस्ताव गैर निगरानीकर्ता संख्या 02 के नाम से आवंटन हेतु पारित किया है ना ही गैर निगरानीकर्ता के नाम से आदेश जारी किया गया है। समस्त कार्यवाही विधि के प्रावधानों के विपरीत की जाकर मात्र गैर निगरानीकर्ता जो कि पंचायत क्षेत्र या गांव का निवासी नहीं है। फर्जी पट्टा नाजायज लाभ उठाने के लिए जारी किया गया। इसी दिनांक के अनेक पट्टे अलग–अलग नामो से जारी किये गये है जिनकी अलग से निगरानीयां न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। इसलिए उक्त समस्त पट्टे, आदेश, प्रस्ताव निरस्त योग्य है। ग्राम पंचायत द्वारा ना तो निलामी की कार्यवाही से पूर्व सार्वजनिक नोटिस बोर्ड पर सूचना चस्पा की गई है ना ही ढोल बजाकर मुनादी की गई ना ही सार्वजनिक रूप से निलामी की गई। समस्त प्रक्रिया जो रिकॉर्ड में दिखाई गई है वह अवैध व पंचायत एक्ट के नियमों व प्रावधानों के विपरीत है। उक्त पट्टा यदि शीघ्र निरस्त नहीं किया गया तो भू–माफिया लोग आबादी भूमि पर निर्माण कर काबिज हो जावेगे। जिससे जरूरत मन्द लोगो को अपूर्णनीय क्षति होगी। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत पन्नीवाली का पट्टा/आदेश/प्रस्ताव दिनांक 01.03.1977 भूखण्ड सख्या 328 निरस्त करने का आदेश दिया जावे।

निगरानी से सबंधित मूल रेकार्ड ग्राम पंचायत से तलब किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

निगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि गैर निगरानीकर्ता संख्या 02 गांव का या पंचायत क्षेत्र का स्थाई निवासी नहीं है ना ही कभी पंचायत क्षेत्र में निवास किया गया है। भूतपूर्व सरपंच द्वारा भू–माफिया व्यक्तियों से भारी राशि प्राप्त करके बेनामी आवंटन पट्टा भूखण्ड सख्या 328 साईज **70X70** फुट का जारी किया गया जबकि ग्राम पंचायत में ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है ना ही पट्टा बही में पट्टे सम्बन्धी कोई रिकॉर्ड है ना ही पट्टा में प्रस्ताव संख्या/ संकल्प संख्या अंकित की गई है ना ही दिनांक 01.03.1977 को किसी प्रकार का आदेश दिया गया है ना ही सार्वजनिक निलामी की प्रक्रिया अपनाई गई है। समस्त कार्यवाही कानून विरूद्व की गई है। सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा गैर निगरानीकर्ता सख्या 02 से ना तो कोई आवेदन पत्र लिया गया है ना ही कार्यवाही रजिस्टर में किसी प्रकार का प्रस्ताव गैर निगरानीकर्ता संख्या 02 के नाम से आवंटन हेतु पारित किया है ना ही गैर निगरानीकर्ता के नाम से आदेश जारी किया गया है। समस्त कार्यवाही विधि के प्रावधानों के विपरीत की जाकर मात्र गैर निगरानीकर्ता जो कि पंचायत क्षेत्र या गांव का निवासी नहीं है। फर्जी पट्टा नाजायज लाभ उठाने के लिए जारी किया गया। इसी दिनांक के अनेक पट्टे अलग–अलग नामो से जारी किये गये है जिनकी अलग से निगरानीयां न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। इसलिए उक्त समस्त पट्टे, आदेश, प्रस्ताव निरस्त योग्य है। ग्राम पंचायत द्वारा ना तो निलामी की कार्यवाही से पूर्व सार्वजनिक नोटिस बोर्ड पर सूचना चस्पा की गई है ना ही ढोल बजाकर मुनादी की गई ना ही सार्वजनिक रूप से निलामी की गई। समस्त प्रक्रिया जो रिकॉर्ड में दिखाई गई है वह अवैध व पंचायत एक्ट के नियमों व प्रावधानों के विपरीत है। उक्त पट्टा यदि शीघ्र निरस्त नहीं किया गया तो भू–माफिया लोग आबादी भूमि पर निर्माण कर काबिज हो जावेगे। जिससे जरूरत मन्द लोगो को अपूर्णनीय क्षति होगी। अतः निगरानी

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)
अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत पन्नीवाली का पट्टा/आदेश/प्रस्ताव दिनांक 01.03.1977 भूखण्ड सख्या 328 निरस्त करने का आदेश दिया जावे।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता ने इसके सम्बन्ध में निम्न नजीरे पेश की हैः—

3. RAJ. PANCHAYAT [GERNERAL] RULES, 1961 -PAGE-254A-256 TO 269-271
4. DNJ [RAJ.] 2002[2] - PAGE -870
5. DNJ [RAJ.] 2000 - PAGE -438-448
6. DNJ [RAJ.] 2009[2] - PAGE -982-984
7. DNJ [RAJ.] 2003[1] - PAGE -449-460
8. DNJ [RAJ.] 2012[3] - PAGE -1395-1404
9. RAJ.PANCHAYATI RAJ RULELS, 1996 - PAGE -137-217-146-219-154-221-
10. FIRST SCH.-O. XXII

गैरनिगरानीकर्ता सख्या 02 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम पंचायत पन्नीवाली जाटान तहसील सादुलशहर द्वारा गैरनिगरानीकर्ता को पट्टा भूखण्ड सख्या 328 साईज **70X70** फुट दिनांक 01.03.1977 को जारी किया गया है, जबकि निगरानी करीब 41 वर्ष बाद प्रस्तुत की गई है, जो मियाद के बाहर पेश की है। अतः उक्त निगरानी मियाद के बिन्दु पर खारिज फरमाई जावें। गैरनिगरानीकर्ता का यह भी कथन है कि आवंटित भूखण्ड दिनांक 01.03.1977 की निलामी की मुनादी करवाने की जो बात निगरानीकार ने की है वह, कतई स्वीकार नहीं है क्योंकि निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी प्रस्तुत करते समय उसकी आयु 24 वर्ष होना बताया है जबकि आवंटित भूखण्ड करीब 41 वर्ष पूर्व निलामी द्वारा क्रय किया गया है। आवंटित भूखण्ड के पट्टा की द्वितीय प्रति रिकॉर्ड में नहीं होना यह पंचायत का काम है ना कि गैरनिगरानीकर्ता का, जबकि पंचायत एक्ट 1953 के रूल्स 1961 की पूर्ण पालना की जाकर उक्त भूखण्ड निलामी की पूर्ण प्रक्रिया अपनाई जाकर विधिवत् रूप से अधिकतम बोली वाली रकम से निलामी में क्रय किया गया है, जिसकी रसीद भी रिकॉर्ड में सलंग्न है। गैरनिगरानीकर्ता का ग्राम पंचायत में स्थाई निवासी नहीं होने बाबत् अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि गैरनिगरानीकर्ता का पता आवंटन के वक्त श्रीगंगानगर ही अंकित किया गया है। अतः निगरानी तथ्य विहीन होने से खारिज फरमाई जावें। गैर निगरानीकर्ता पक्ष की ओर से कोई कानूनी नजीर पेश नहीं की गई।

परिसीमा के सम्बन्ध में अप्रार्थी पक्ष द्वारा किये गए एतराज के सन्दर्भ में प्रकरण गुणावगुण पर ही निस्तारण करना समीचीन है।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली एवं उपलब्ध रेकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया गया।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत नजीर DNJ [RAJ.] 2012[3] - PAGE -1395-1404 नवीन पंचायती राज नियम 1996 के सन्दर्भ में है, जो सुसंगत नही है। नवीन पंचायती राज नियमों के सन्दर्भ में होने से DNJ [RAJ.]2009[2]-PAGE -982-984 ग्राहय नहीं है। DNJ [RAJ.] 2000-PAGE -438-448 परिसीमा से सम्बन्धित है परन्तु हस्तगत प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना निश्चित किया है । DNJ [RAJ.] 2003[1]-PAGE -449-460 आपसी बातचीत से आवंटन/विक्रय से सम्बन्धित होने के कारण ग्राहय नही है क्योंकि हस्तगत प्रकरण में भूखण्ड नीलामी से दिया गया है न कि आपसी बातचीत के अनुसरण में

अधिवक्ता निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत राज0 पंचायत (साधारण) नियम ,1961 को देखा गया। इसमें ऐसा कोई नियम नहीं है कि पट्टा ग्राम पंचायत के मूल निवासी को ही जारी हो, जैसा कि निगरानीकार का मुख्य एतराज है। उक्त

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

नियमों के नियम 256 में कोई भी व्यक्ति जो आबादी भूमि को क्रय करने की इच्छा रखता है, आवेदन कर सकता है। इन्ही नियमों में भूखण्ड आवंटन की प्रक्रिया दी हुई है। नियम 261 में आपत्ति निस्तारण का भी प्रावधान था, चूंकि पूर्व अधिनियम एवं इसके अधीन बने नियम अब निरसित हो चुके है। इन्ही नियमों में नियम 259 में पंचायत का विनिश्चय प्रस्ताव का प्रावधान भी था। रिकॉर्ड के अवलोकन से पाया गया है कि दिनांक 01.03.1977 को ग्राम पंचायत पन्नीवाली की बैठक के कार्यवाही विवरण के प्रस्ताव संख्या शुन्य दिनांक 01.03.2017 के अनुसार कृष्णलाल पुत्र हरनारायण जाति महेश्वरी निवासी श्रीगंगानगर को मि.न. 688 दिनांक 01.06.1976 द्वारा आबादी भूखण्ड आवंटन का जिक्र है। पंचायत द्वारा प्रस्तुत अभिलेख में रसीद संख्या 31 द्वारा राशि जमा हुई है, । जिससे प्रमाणित होता है कि क्रेता से आबादी भूमि के उक्त प्लॉट के क्रम में 100/– रूपये प्राप्त किये। रोकड बही में इस रसीद की राशि का अंकन नही है। पंचायत के पत्र दिनांक 04.01.2014 के द्वारा पुष्टि होती है कि अप्रार्थी के नाम भूखण्ड संख्या 328 विद्यमान है परन्तु इसी रसीद बुक की अन्य रसीदो से जमा राशि का रोकड बही में अंकन है। रोकड बही में जमा राशि का अंकन करना पंचायती राज संस्था का कर्तव्य है न कि जमाकर्ता का। जमाकर्ता के नाम राशि जमा का पुख्ता सबूत मूल रसीद संख्या 31 है। निगरानीकर्ता ने अपनी निगरानी में स्पष्ट अंकित किया है कि निगरानीधीन पट्टे की फोटो कॉपी अन्य कागजात के साथ पंचायत से मिली है। इसका तात्पर्य है कि पट्टे की विद्यमानता है और इसकी मूल कार्यालय प्रति उपलब्ध नहीं होने मात्र से पट्टा अवैध करार नहीं दिया जा सकता। पट्टा जिस अवधि में पंचायत द्वारा प्रस्ताव लिखा जाकर जारी करना पट्टे में अंकित है उस समय तो निगरानीकर्ता का जन्म भी नहीं हुआ था। इसलिए निगरानी में उठाये गए एतराजात/बिन्दुओं के सम्बन्ध में उसके जन्म से पूर्व की घटनाओं के बाबत उसके कथनो–जैसे भूतपूर्व सरपंच द्वारा भू–माफिया व्यक्तियों से भारी राशि प्राप्त करके बेनामी आवंटन पट्टा जारी किया गया का पुख्ता सबूतों के अभाव में ठोस आधार नहीं है। निगरानीधीन पट्टा की प्रस्तुत फोटो कॉपी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह भूखण्ड पत्रावली संख्या 688 दिनांक 01.06.1976 कृष्णलाल पुत्र हरनारायण निवासी गंगानगर को 200/–रूपये (दो सौ रूपये) की नीलामी में क्रेता की सर्वोच्च बोली होने के फलस्वरूप विक्रय किया गया है और इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के प्रस्ताव दिनांक 01.03.1977 की पुष्टि की जाना भी पट्टे में ही अंकित है। पट्टे के पृष्ठ .भाग पर बाकायदा इस भूखण्ड की अवस्थिति अन्य भूखण्डों के साक्षेप दर्शित की हुई है जो यह साबित करता है कि पंचायत द्वारा आबादी भूखण्डो बाबत एक व्यवस्थित प्लान तैयार किया गया था।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकर्ता की निगरानी अभिकथनों को अभिलेखीय सबूतों द्वारा प्रमाणित नहीं कर पाने के कारण खारिज की जाती है। आदेश की प्रति मय रेकॉर्ड सम्बन्धित ग्राम पंचायत को भेजी जावें।

आदेश आज दिनांक 14.09.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

14/9/18

(नखतदान बारहठ)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्री गंगानगर